सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 169/प्रा0पत्र/2021 **दायरा दिनांक :– 29.09.2021**

GCMS ID–2021/14

1. ईद मोहम्मद आ0 छीतर जाति मुसलमान निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. मनबरदेवी पत्नी शोजी जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज।
2. मोहन आ0 हीदा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज।
3. सोसर पुत्री हीरा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज।
4. हेमा पुत्र हीरा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

दिनांक :– 16/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के सामलाती खाते की भूमि खसरा संख्या 1448 रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का एक रास्ता, आम रास्ता खसरा संख्या 1448/3949 से अप्रार्थी संख्या 1 मनबर देवी के खाते की भूमि खसरा संख्या 1448/3948 एवं अप्रार्थीगण मोहन, सोसर व हेमा के खाते की भूमि खसरा संख्या 1448/3946 के

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

बीच में होकर जाता है, जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा अरसे दराज से किया जा रहा है, रास्ता कदीमी है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वर्तमान में रास्तों को अवरूद्ध करने की प्रवृति बढ रही है, भविष्य में रास्ता अवरूद्ध न हो तथा अनावश्यक विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत तक आने जाने कृषि उपकरण पशुओं लाने ले जाने हेंतु रास्ते का अधिकार होने से प्रार्थी उक्त अपने खाते की भूमि तक आम रास्ते से अप्रार्थीगण के खाते की भूमियों में होकर 15 फिट चौडा रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत वहन करने हेतु तैयार है। भूमिया वाके ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को परिवाद की श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आम रास्ता खसरा संख्या 1448/3949 से प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1448 तक अप्रार्थीगण के खाते की भूमिया खसरा संख्या 1448/3948 व खसरा संख्या 1448/3946 के मध्य होकर 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/322 दिनांक :–21.03.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1448 वाके ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 1448/3948 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1448/3948 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह खसरा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है, में से 13 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि खाता संख्या 177 के खसरा संख्या 1448 वाके ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 1448/3948 में से 12 फीट चौडे व 297 फीट लम्बे रास्ते में कुल (0.0332 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 1448/3948 की डीएलसी राशि 1510000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0332 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 50132/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 100264/रू– का भुगतान सम्बन्धित अप्रार्थी खातेदारान को करने/प्रतिकर राशि का डी0डी0 न्यायालय में पेश करने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446